निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1935 (शo)

(सं0 पटना 82) पटना, वृहस्पतिवार, 16 जनवरी 2014

पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0(भ0नि0)-150/2013—64 /वि0,

वित विभाग

————————

प्रेषक,

संजीव हंस,

सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सरकार के सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 13 जनवरी 2014

विषयः- एक से अधिक भविष्य निधि खाता रखने वाले सरकारी सेवकों की पहचान एवं उसके सुधार करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित मामले में कहना है कि एक से अधिक भविष्य निधि खाता रखने वाले सरकारी सेवकों की पहचान एवं उसके सुधार करने के संबंध में वित्त विभागीय

परिपत्र संख्या-1608 दिनांक 10.12.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी कोषागार पदाधिकारियों को विस्तृत निदेश एवं भविष्य निधि खाता संख्या के सत्यापन के लिए एक प्रपत्र जारी किया गया है ।

2. विषयांकित मामले में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं दिनांक 01.09.2005 के पूर्व नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए आवश्यक सूचना संबंधी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गयी है । (प्रतिलिपि संलग्न)

3. अतः अनुरोध है कि विभागीय परिपत्र संख्या-1608 दिनांक 10.12.2013 द्वारा परिचारित निदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अपने-अपने विभाग/ कार्यालय में इस प्रकार कार्रवाई की जाये जिससे एक माह के अन्दर एक से अधिक भविष्य निधि-खाता रखने वाले सरकारी सेवकों की पहचान हो सके एवं उनके नाम से एक ही सही खाते को चालू रखा जा सके । अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

संजीव हंस,

सचिव (संसाधन)।

पत्रांक-वि0(27)पें0को0(भ0नि0)-150/13 /1608 वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,

बिहार ।

पटना, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

विषयः- एक से अधिक भविष्य निधि खाता रखने वाले सरकारी सेवकों की पहचान एवं उसके सुधार करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निम्नांकित बातें कहनी हैः-

1. सभी सरकारी सेवकों का सी0टी0एम0आई0एस0 में Employee Data base तैयार किया गया है जिसमें भविष्य निधि लेखा संख्या को संबंधित सरकारी सेवक का Unique number निर्धारित किया गया है । एक सरकारी सेवक का एक ही भविष्य निधि खाता होना चाहिए । लेकिन सी0टी0एम0आई0एस0 से सृजित ब्यौरा के अनुसार कुल 25991 सरकारी सेवकों के नाम से एक से अधिक जी0पी0एफ0 खाता चल रहा है ।

2. एक से अधिक जी0पी0एफ0 खाता संख्या वाले लोक सेवकों के मामले में यह देखा जा रहा है कि या तो उनके नाम के स्पेलिंग में भिन्नता हैं या जी0पी0एफ0 खाता संख्या में अंक या कोई और परिवर्तन किया गया है।

3. एक से अधिक जी0पी0एफ0 खाता रखने वाले लोक सेवकों की पहचान कर उसमें सुधार करने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

(i) ई-मेल से प्राप्त सूची से अपने कोषागार से संबंधित एक से अधिक जी0पी0एफ0 खाता वाले राज्यकर्मियों की सूची संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाय ।

(ii) उन्हें निदेश दिया जाय कि एक माह के अंदर एक से अधिक खाते की जाँच कर सही खाता को रखें और गलत खाता को निरस्त कराने की कार्रवाई करें । सरकारी सेवक के नाम की स्पेलिंग के लिए उसकी सेवापुस्त या प्रवेशिकोतीर्ण प्रमाण-पत्र को आधार माना जाय । भविष्य निधि कार्यालय से लिखित में प्राप्त खाता संख्या को ही सही खाता माना जाय ।

(iii) यदि लोक सेवक द्वारा अपने नाम से संधारित एक से अधिक खाते के माध्यम से कोई राशि अंशदान की गई है या किसी प्रकार की अग्रिम निकासी की गयी या अग्रिम की वसूली कराई गई है तो उसे भी सही खाता के साथ मिलाया जाय ।

(iv) इस हेतु सरकारी सेवक एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा । यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो संबंधित सरकारी सेवक एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त प्रशासनिक एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी । विहित प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है ।

(v) यदि ऐसे सरकारी सेवक/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त सूचना एक माह में उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाएगी ।

विश्वासभाजन,

रामेश्वर सिंह,

प्रधान सचिव।

वित्त विभाग

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा 01.09.2005 के पूर्व नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए आवश्यक सूचना

इस नियम से सभी अवगत हैं कि एक सरकारी सेवक का एक ही भविष्य निधि खाता हो सकता है। पूर्व में अभियान चलाकर एक से अधिक खातों के मामलों को बंद किया गया था । इसके बाबजूद सी0टी0एम0आई0एस0 में संधारित Data base से प्राप्त व्यौरा से स्पष्ट होता है कि कई ऐसे सरकारी सेवक हैं जिनके नाम से एक से अधिक भविष्य निधि खाता अभी भी खुला है । जानबूझ कर ऐसा करने के अलावा, एक से अधिक खाता होने के निम्नांकित कारण हो सकते हैं-(i) नाम की अलग-अलग Spelling अंकित हो (ii) खाता संख्या अंकित करने में भिन्नता हो गई हो यथा(–) के बदले(/)या टाइपिंग में extra space. । कम्प्यूटराइज्ड मोनीटरिंग में ऐसे सभी खाते अलग-अलग अंकित हो जाते हैं और सरकारी सेवक का अंशदान/अग्रिम वसूली भी अलग-अलग खाते में प्रविष्ट हो जाता है । इससे खाता का संधारण त्रुटिपूर्ण होगा और सेवा निवृति के बाद उनके जी0पी0एफ0 खाते में संचित राशि के भुगतान में अनावश्यक विलंब हो सकता है ।

अतः सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने कोषागार से संपर्क कर एक से अधिक जी0पी0एफ0 खाता रखने वाले सरकारी सेवकों की सूची प्राप्त कर लें तथा एक सही खाते को रखें तथा अन्य खाते को निरस्त करा दें ।सभी सरकारी सेवक भी अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से संपर्क कर आश्वस्त हो लें कि उनका एक ही भविष्य निधि खाता है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इसकी भी संपुष्टि करेगें कि दोनों खातों में दीख रहे अंशदान/अग्रिम/अग्रिम वसूली की विवरणी भी सही है और वह किस सही खाते से संबंधित है । यदि एक माह के अंदर एक से अधिक जी0पी0एफ0 खाता धारियों के एक खाते को नियत करते हुए अन्य खाते निरस्त नहीं किये जाते हैं तो उन सरकारी सेवकों तथा उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का वेतन भुगतान अगले आदेश तक रोक दिया जायेगा ।

इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी, सूचना एवं निदान हेतु कृपया अपने संबंधित कोषागार पदाधिकारी से संपर्क करें ।कोषागार पदाधिकारी सूची के विरुद्ध प्राप्त संपुष्टि एवं प्रतिवेदन को संकलित करेंगे और एक साथ भविष्य निधि पदाधिकारी को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त करायेंगे ।

रामेश्वर सिंह,

प्रधान सचिव।

भविष्य निधि खाता संख्या सत्यापन प्रपत्र

1. सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में) .....

   (अंग्रेजी के CAPITAL अक्षरों में).....

2. निकासी एवं व्ययन कार्यालय .....
   .....
   .....

3. विभाग का नाम .....

4. कोषागार का नाम .....

5. सही भविष्य निधि खाता संख्या .....

6. निरस्त किया जाने वाला भविष्य निधि खाता संख्या .....

7. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(i) निरस्त किये जाने वाले जी0पी0एफ0 खाता में कटौती की राशि रूपये ..... जमा किया गया है ।

(ii) निरस्त किये जाने वाले जी0पी0एफ0 खाता से स्थायी/अस्थायी अग्रिम के रूप में रूपये.....की निकासी की गई है ।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर के साथ ।

लोक सेवक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर ।

नोट- बिन्दु 7(i) एवं 7(ii) से संबंधित विस्तृत विवरणी अलग शीट में संलग्न करें ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 82-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in